



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052024-254419  
CG-DL-E-29052024-254419

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]  
No. 141]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 27 मई, 2024  
सं. 05 / 2024

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.59 में संशोधन और आभूषणों के निर्यात के लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (सिऑन) ड-1 से ड-7 का रूपांतरण।

फा. सं. 01/94/180/104/एएम-24/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.59 में संशोधन:

पैरा 4.59 (क) से (ज) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क्र. सं.	निर्यात की वस्तुएं	निर्यात मद में सोने/प्लेटिनम/चांदी के संदर्भ में भार अनुसार छीजन का प्रतिशत	
		सोना/प्लेटिनम	चाँदी
(क)	सोना और काले मनकों/बनावटी नगीना, घनाकार जिरकोनिया हीरे, कीमती और अर्द्ध-कीमती नगीनों सहित मंगलसूत्र जैसे सहज आभूषण, वस्तुएं और आभूषण,	0.5 %	0.75 %

(ख)	जड़ित आभूषण और उनकी वस्तुएं	0.75 %	0.75 %
(ग)	स्वदेशी रूप से विनिर्मित (गैर-मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा) माउटिंग्स एवं फाइनडिंग्स	0.5 %	0.75 %
(घ)	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड और गैर जड़ित प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं (अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत लागू नहीं)	0.2 %	0.2 %
(ङ.)	जड़ित आभूषण में प्रयुक्त माउटिंग्स, चाहे आयातित अथवा स्वदेशी रूप से प्राप्त/विनिर्मित हों।	0.1 %	0.1 %
(च)	सोने/चाँदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर) (अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत लागू नहीं)	0.1%	0.1%
(छ)	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित फाइनडिंग्स और माउटिंग्स	0.1%	0.1%
(ज)	सोने की धार्मिक मूर्तियां (केवल देवताओं और देवियों) जो 8 कैरेट या अधिक (24 कैरेट तक) हों।	सामान्य सोने की मूर्तियां - 0.5% जड़ित सोने की मूर्तियां-0.75%	

## 2. मानक इनपुट-आउटपुट मानदंड (सिऑन) में संशोधन

मानक इनपुट आउटपुट मानदंड(सिऑन) ड1 से ड7 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

सिऑन क्र. सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात क्र. सं.	आयात मद	मात्रा
ड1	सोना और काले मनकों/बनावटी नगीना, घनाकार जिरकोनिया हीरे, कीमती और अर्द्ध-कीमती नगीनों सहित मंगलसूत्र जैसे सहज आभूषण, वस्तुएं और आभूषण	1 कि. ग्रा.	1	सोना	1.005 कि. ग्रा.
			2	प्लेटिनम	1.005 कि. ग्रा.
			3	चाँदी	1.0075 कि. ग्रा.
ड2	सिऑन के अध्याय छ और ज के ड1 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर जड़ित आभूषण और वस्तुएं	1 कि. ग्रा.	1	सोना	1.0075 कि. ग्रा.
			2	प्लेटिनम	1.0075 कि. ग्रा.
			3	चाँदी	1.0075 कि. ग्रा.
ड3	स्वदेशी रूप से विनिर्मित (गैर-मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा) माउटिंग्स एवं फाइनडिंग्स	1 कि. ग्रा.	1	सोना	1.005 कि. ग्रा.
			2	प्लेटिनम	1.005 कि. ग्रा.
			3	चाँदी	1.0075 कि. ग्रा.
ड4	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड और गैर जड़ित प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं	1 कि. ग्रा.	1	सोना	1.002 कि. ग्रा.
			2	प्लेटिनम	1.002 कि. ग्रा.
			3	चाँदी	1.002 कि. ग्रा.
ड5	जड़ित आभूषण में प्रयुक्त माउटिंग्स, चाहे आयातित अथवा स्वदेशी रूप से प्राप्त/विनिर्मित हों।	1 कि. ग्रा.	1	सोना	1.001 कि. ग्रा.
			2	प्लेटिनम	1.001 कि. ग्रा.
			3	चाँदी	1.001 कि. ग्रा.

ड6	सोने/चाँदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर)	1 कि. ग्रा.	1	सोना	1.001 कि. ग्रा.
			2	प्लेटिनम	1.001 कि. ग्रा.
			3	चाँदी	1.001 कि. ग्रा.
ड7	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित, सोना/चाँदी/प्लेटिनम, फाइंडिंग्स और माउन्टिंग्स	1 कि. ग्रा.	1	सोना	1.001 कि. ग्रा.
			2	प्लेटिनम	1.001 कि. ग्रा.
			3	चाँदी	1.001 कि. ग्रा.

नोट : सोने या चाँदी की माउंटिंग्स और फाइंडिंग्स का वजन, यदि आयात किया जाता है और निर्यात उत्पाद में उपयोग किया जाता है, तो निर्यात उत्पाद में सोने और चाँदी की शुद्ध सामग्री निर्धारित करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

#### इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आभूषणों के निर्यात के संबंध में प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के तहत अनुमत छीजन और मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों को संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th May 2024

No. 05/2024

**Subject : Amendment in 4.59 of Handbook of Procedures, 2023 and modification in Standard Input Output Norms (SION) M- 1 to M-7 for export of jewellery**

**F. No. 01/94/180/104/AM24/PC-4.**—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment:

#### 1. Amendments in Para 4.59 of Handbook of Procedures, 2023:

Para 4.59 (a) to (h) is amended as under:

Sl. No.	Items of export	Percentage of wastage by weight with reference to Gold/ Platinum / Silver content in export item	
		Gold / platinum	Silver
a)	Plain jewellery, articles, and ornaments like Mangalsutra containing gold and blackbeads /imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones.	0.5 %	0.75 %
b)	Studded jewellery and articles thereof	0.75 %	0.75 %
c)	Mountings and findings manufactured (by non-mechanised process) indigenously	0.5 %	0.75 %
d)	Any jewellery/articles manufactured by a fully mechanised process and unstudded. (not applicable under Advance Authorisation)	0.2 %	0.2 %
e)	Mountings indigenously manufactured, used in studded jewellery	0.1 %	0.1 %

f)	Gold / silver / platinum medallions and coins (excluding coins of nature of legal tender) (not applicable under Advance Authorisation)	0.1%	0.1%
g)	Findings and mountings manufactured by mechanized process	0.1%	0.1%
h)	Gold religious idols (only Gods and Goddess) of 8 carats and above (upto 24 carats)	Plain Gold idols- 0.5% Studded Gold idols- 0.75%	

## 2. Amendment in Standard Input Output Norms (SION)

Standard Input Output Norms (SION) M-1 to M-7 is modified as under: -

SION Serial Number	Export Item	Quantity	Import S. No	Import Item	Quantity
M1	Plain jewellery, articles, and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads / imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones.	1 KG	1	Gold	1.005 KG
			2	Platinum	1.005 KG
			3	Silver	1.0075 KG
M2	Studded jewellery and articles thereof other than those covered by SION M1 of G&J Chapter.	1 KG	1	Gold	1.0075 KG
			2	Platinum	1.0075 KG
			3	Silver	1.0075 KG
M3	Mountings and findings manufactured (by non-mechanised process) indigenously	1 KG	1	Gold	1.005 KG
			2	Platinum	1.005 KG
			3	Silver	1.0075 KG
M4	Any jewellery/ articles manufactured by a fully mechanised process and unstudded.	1 KG	1	Gold	1.002 KG
			2	Platinum	1.002 KG
			3	Silver	1.002 KG
M5	Mountings, indigenously manufactured, used in the studded jewellery	1 KG	1	Gold	1.001 KG
			2	Platinum	1.001 KG
			3	Silver	1.001 KG
M6	Gold/ Silver/ Platinum medallions and coins (excluding the coins of nature of the legal tender).	1 KG	1	Gold	1.001 KG
			2	Platinum	1.001 KG
			3	Silver	1.001 KG
M7	Gold/ silver/ platinum findings and mountings manufactured by mechanized process.	1 KG	1	Gold	1.001 KG
			2	Platinum	1.001 KG
			3	Silver	1.001 KG

**Note:** Weight of mountings & findings of gold or silver, if imported & used in Export Product, will not be included for determining net content of gold and silver in Export Product.

### Effect of this Public Notice:

The wastage permissible and Standard Input Output Norms under the Handbook of Procedures, 2023 with regard to export of jewellery has been revised.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.